

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/डी.सी.डी.सी./2016/2983


दिनांक: 18-05-2016

सूचना

स्थायी सम्बद्धता के लिए।

समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय जिनमें एम.एड. तथा अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं तथा उक्त संचालित पाठ्यक्रमों को 5 वर्ष निरंतरता पूर्ण हो चुके हैं एवं ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा नैक का निरीक्षण कराया जा चुका है तथा वे परिणियम 9(2) की समस्त शर्तों को पूर्ण करते हैं वह अपने आवेदन स्थायी सम्बद्धता हेतु (बिबसाईट पर सम्बद्धता से सम्बंधित प्रोफार्मा डाउनलोड कर) विश्वविद्यालय कार्यालय में निर्धारित शुल्क सहित दिनांक 20.06.2016 तक जमा कर सकते हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


अधिष्ठाता 18/5/2016
महाविद्यालय विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
 दूरभाष : (0751) 2341896
 (0751) 2442829
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
 कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर
 क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2015/

दिनांक:.....

परिनियम 27(9) (2)

A college shall not be eligible for permanent affiliation until it full fills the following conditions:-

1. The College is on undisputed possession of land
2. The college has constructed its own building as per blueprint submitted
3. The college has deposited in full the endowment fund.
4. The college has a duly constituted Managing Committee
5. The staff has been appointed as per prescribed norms and qualification under the provision of Statute 28 college code
6. The college fulfils all the conditions stipulated in statutes and ordinances of university
7. The staff is being paid full salaries and other allowances regularly and timely
8. The college has duly constituted college council as per provision of the Statute-28 with proper representation of its teaching staff to advise the principal on the functioning of the college
9. College has sufficient number of books and journals CD's, cassettes etc. as require for the course/ subject
10. The college has completed at least 5 years of satisfactory performance and fulfilled all the conditions of affiliation and has attained the academic and administrative standards as prescribed by the university from time to time.
11. NAAC Accreditation.

LAJAWAL
 DCDC 18/5/2016